तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जा
29/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उप। वादी द्वारा दस्तावेज सूची के साथ अभिवृद्धि प्रस्तुत कि गई। जिसे अंकित पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई। कि वादी मिडिएशन के आधार पर वादी का हिस्सा अनुसार वादी मिडिएशन कोर्ट के आधार प्राथमिक डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से अंकित कराया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। तथा सुनाया गया। पत्रावली पत्रावली विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25/11/025 को पेश हो।	
25/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील से विभाजन प्रस्ताव इन्तजार है पत्रावली दिनांक 12/01/026 को है।	
12/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील से विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। इन्तजार में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10/03/026 को पेश हो।	
15/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसील से विभाजन प्रस्ताव में ~~[illegible]~~ पत्रावली प्राप्त हुआ है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी द्वारा बटवारा नहीं चाहते है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को नोट प्रूफ किया गया। प्रश्न प्रकरण में आगे वादी शेष नहीं रहते है वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अलग नम्बर होगा है।	